(10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डिन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

(12) संस्था की वार्षिक आय–व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा–जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

(13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ०(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या– 9598/मं०स० (183)/2016 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
(6) प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल, प्लॉट नं०–एच०एस०–28ए, सिग्मा–1, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

डॉ०(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

26/12/16